<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>एकल पीठ: माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 545/2003</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u> छत्तीसगढ़ कल्याण समिति और अन्य

<u>विरूद्ध</u>

<u>उत्तरवादीगण</u> मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

<u>आदेश</u>

<u>15 जुलाई, 2011 को सूचीबद्ध करें</u>

हस्ताक्षरित /-

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

रिट याचिका क्रमांक545/2003

याचिकाकर्तागण छत्तीसगढ़ कल्याण समिति और अन्य

विरूद्ध

उत्तरवादीगण मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित:

श्री बी.पी. मिश्रा, अधिवक्ता,याचिकाकर्तागण की ओर से ।

श्री सूर्यकांत मिश्रा,पैनल अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 और 4 क ओर से ।

आदेश

(दिनांक 15.07.2011 को पारित)

(1) इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागण ने उत्तरवादीगण को यह निर्देश देने हेतु परमादेश या अन्य उपयुक्त निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता की संस्था को 8, 71, 827 रू. की राशि का भुगतान करें जो कि शिक्षण शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के रूप में देय है। याचिकाकर्तागण ने यह भी अनुरोध किया है कि बकाया अदत्त राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, मांग तिथि से वास्तविक भुगतान तक प्रदान किया जाये।

(2) याचिका में नीहित विवाद के निराकरण हेतु आवश्यक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता क्र. 1 एक सोसायटी है जो मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है। जिसका पंजीयन क्र. 29/9.6.1961 है। याचिकाकर्ता क्र.1 कल्याण महाविद्यालय सोसायटी के नाम से एक महाविद्यालय संचालित कर रही है याचिकाकर्ता क्र.1 सोसायटी द्वारा संचालित महाविद्यालय एक निजी महाविद्यालय है जो शासन से अनुदान प्राप्त कर रहा है । 15 दिसंबर 1984 को राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की छात्राओं को शिक्षण शुल्क तथा प्रयोगशाला शुल्क से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश में राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क के भुगतान से मुक्त करने का निर्णय लिया है तथा इस कारण विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को होने वाले वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति अनुदान के माध्यम से की जायेगी। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के परिपत्र दिनांक 22.02.1986 (अनुलग्न पी-2) के अनुसार शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत राशि रख-रखाव अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) याचिकाकर्तागण का प्रकरण यह है कि उपर्युक्त नीतिगत निर्णय तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति रख-रखाव अनुदान के रूप में दिए जाने के आश्वासन के अंतर्गत याचिकाकर्ता संस्था ने छात्राओं की शिक्षण शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क से छूट प्रदान करते हुए शैक्षणिक सत्र 1984-85 एवं 1985-86 के संबंध में निर्धारित मांग प्रस्तुत कर प्रतिपूर्ति का दावा किया। अनुदान आयोग द्वारा उक्त दावे को स्वीकृत किया, दिनांक 12.09.1986 के पत्र (अनुलग्नक पी-3) से प्रमाणित है। तत्पश्चात याचिकाकर्तागण ने शैक्षणिक सत्र 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 और इसी प्रकार आगे समय-समय पर शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिपूर्ति हेतु मांग प्रस्तुत की, किन्तु याचिकाकर्तागण द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किए जाने के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्तागण के अनुसार चार शैक्षणिक सत्रों के संबंध मे

देय एवं भुगतान योग्य राशि 3,04,455.50/- है। तत्पश्वात याचिकाकर्तागण ने शैक्षणिक सत्र 1998-99 तक 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए मांग प्रेषित करने के उपरांत भी कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई। अंततः याचिकाकर्तागण को आश्वासन के अनुसार प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है, शैक्षणिक सत्र 1999-2000 से बालिका छात्राओं से शिक्षण शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क लेने का निर्णय लिया। अनेक स्मरण पत्र भेजे जाने के उपरांत भी याचिकाकर्तागण के द्वारा दावा की गई राशि कि प्रतिपूर्ति नहीं की गई। याचिकाकर्तागण द्वारा उत्तरवादीगण को कानूनी नोटिस (अनुलग्नक-पी/26) प्रेषित किया गया। उक्त कानूनी नोटिस के उत्तर में उत्तरवादी क्र. 3 के कार्यालय में अपने पत्र दिनांक 13.01.2003 द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ को सूचित किया कि परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित याचिकाकर्ता संस्था के प्रति देय भुगतान का दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य की होगी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि राज्य शासन के आदेश दिनांक 15 दिसंबर 1984 के अनुपालन में अनुदान आयोग ने अपने पत्र दिनांक 22.02.1986 (अनुलग्नक पी-2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 50 % प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि शासन एवं अनुदान आयोग द्वारा दिए गए स्पष्ट एवं निर्विवाद आश्वासन तथा अभिवचनों के आधार पर याचिकाकर्ता संस्थान ने अपनी स्थिति अपने प्रतिकूल प्रवर्तित कर शैक्षणिक सत्र 1989-99 तक छात्राओं से शिक्षण शुल्क की वसूली नहीं की । यद्यपि उत्तरवादीगण ने अपीलार्थी संस्था को मात्र दो शैक्षणिक सत्र अर्थात् 1984-85 एवं 1985-86 के लिए ही प्रतिपूर्ति प्रदान की, किन्तु तत्पश्चात् उत्तरवादी क्र.1 एवं 3 ने मनमाने एवं एकतरफा तरीके से अपने पूर्व में किए गए आश्वासन से विरत होते हुए शैक्षणिक सत्र 1998-99 तक छात्राओं से शिक्षण शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण संस्था को हुए वित्तीय नुकसान की प्रतिपूर्ति करना बंद नहीं की है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि उत्तरवादी क्र. 1 एवं 3 द्वारा आश्वासन पर विश्वास कर

याचिकाकर्ता ने उसी के अनुसार कार्यवाही करते हुए अपने गंभीर प्रतिकूलता में परिवर्तित कर ली, उत्तरवादी क्र. 1 एवं 3 ने वचन विबंध के सिद्धांतों से अबद्ध और वे उस अवधि के संबंध में जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता ने छात्राओं से शिक्षण शुल्क की वसूली नहीं की याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के अपने वचन को पूरा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है। आगे अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बनाम हिमांशु इंटरनेशनल, प्रोप्रराईटर बनाम वेंकटाद्री (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिक [1], बी.एल. श्रीधर एवं अन्य विरूद्ध के एम.मुनीरेड्डी(मृत) मिल एवं अन्य[2] तथा उड़ीसा राज्य एवं अन्य विरूद्ध मंगलम टिम्बर प्रोडक्टस लिमिटेड[3],** के प्रकरणों का अवलंबन लिया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि राज्य के पुर्नगठन के उपरांत तथा उत्तरवादी क्र. 3 के कार्यालय से कानूनी नोटिस के उत्तर(अनुलग्नक पी-27) के आलोक में मध्यप्रदेश राज्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य दोनों याचिकाकर्ता को देय प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु समान रूप से उत्तरदायी एवं बाध्य है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 1 एवं 3 से बार-बार संपर्क किया एवं वर्ष 1999 तक उन्हें यह आश्वासन दिया जाता रहा कि देय राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी, तथापि प्रथम बार अप्रैल 2000 में याचिकाकर्ता क्र. 1 संस्था के अध्यक्ष ने भोपाल में वित्त अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से मिलने पर उन्हें अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरांत याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई मांगों की पूर्ति का दायित्व अब छत्तीसगढ़ राज्य का है। दोनों राज्य सरकारों के बीच अनुदान परिसंपत्तियों एवं देनदारी का समायोजन एवं निराकरण हो चुका है, और मध्यप्रदेश राज्य अब याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

1 AIR 1979 SC 1144

2 AIR 2003 SC 578

3 AIR 2004 SC 297

याचिकाकर्ता संस्था के अधिकारी ने उत्तरवादी क्र. 4 के कार्यालय से संपर्क किया तब उन्हें कोई स्पष्ट एवं निश्चित उत्तर नहीं दिया गया। फलस्वरूप याचिकाकर्ता ने अंत में एक विधिक सूचना प्रेषित किया जिसका उत्तर दिनांक 13.01.2003 को उत्तरवादी क्र. 3 से प्राप्त हुआ तदोपरांत वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

(5) यद्यपि उत्तरवादी क्र. 1 एवं 3 को नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी उनकी ओर से कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई प्रतिनिधित्व किया है।

(6) उत्तरवादी क्र. 2 एवं 4 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि रिट याचिका विलंब और अनुचित है। यदि याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही थी, जिसके लिए याचिकाकर्ता संस्था ने शिक्षण शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क की वसूली नहीं की थी, तब याचिकाकर्ता को तत्काल न्यायालय की शरण मे जाना था, परन्तु याचिकाकर्ता ने वर्ष 2003 तक प्रतिक्षा की और तत्पश्चात् यह याचिका प्रस्तुत की । उन्होंने निवेदन किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने स्वयं छूट की नीति को बंद कर दिया और शैक्षणिक सत्र 1998-99 के पश्चात् बालिका छात्राओं से शुल्क वसूलना प्रारंभ किया, तथापि भुगतान न किए जाने के कारण उत्पन्न परिवाद के विरूद्ध कोई उपचार नहीं लिया गया। अतः निवेदन किया गया कि रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। उत्तरवादी क्र. 2 एवं 4 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने धन वसूली दावा किया है जिसके लिए याचिकाकर्ता को उचित उपचार हेतु धन वसूली वाद दायर प्रस्तुत करना था, एवं यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है। उत्तरवादी क्र. 2 एवं 4 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि छत्तीसगढ़ राज्य या उसके कार्यकर्ता याचिकाकर्ता का दावा शैक्षणिक सत्र 1998-99 तक की प्रतिपूर्ति की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यह दायित्व नियत दिवस अर्थात् मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियत किए गए दिनांक 01.11.2000 से पहले की अवधि से संबंधित है। यह दायित्व केवल मध्यप्रदेश राज्य एवं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मध्यप्रदेश अनुदान आयोग का है।अंततः यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश उच्चशिक्षा अनुदान आयोग को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

(7) मैने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किए एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

(8) 15 दिसंबर 1984 के आदेश (अनुलग्नक पी-1) से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं की छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क से मुक्त करने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश की कंडिका 2 में स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से उपबंधित किया गया है कि अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को होने वाले हानि की भरपाई अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा की जायेगी। उक्त आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप-निदेशकों, सहायक निदेशकों, लेखाधिकारी, महाविद्यालयीन, शिक्षा निदेशालय, मध्यप्रदेश भोपाल उच्च शिक्षा संचालनालय में सूचना निदेशक, समस्त आयुक्तों, जिलाध्यक्षों समस्त विश्वविद्यालयों तथा राज्य के समस्त शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त निजि महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यों प्रेषित की गई थी। इससे यह स्पष्ट है क राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को राज्य शासन द्वारा अनुदान प्रतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। तत्पश्चात अनुदान आयोग ने दिनांक 22.02.1986 को अपने पत्र (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से राज्य शासन को 15 दिसंबर 1984 के शासकीय पत्र के अनुपालन में स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया कि अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को उनके द्वारा वहन की गई व्यय राशि का 50 प्रतिशत समतुल्य रख-रखाव अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति स्वरूप प्रदान की जायेगी।उक्त पत्र राज्य के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रेषित किया गया था, जिस में यांचिकाकर्ता संस्था के प्राचार्य को भी सम्मिलित किया गया था। अतएव इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता कि राज्य शासन तथा उसकी सक्षम प्राधिकृत संस्था द्वारा यह स्पष्ट एवं निर्विवाद घोषणा की गई कि अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुक्त किए जाने संबंधी राज्य शासन की नीति के क्रियान्वयन से हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल हानि की राशि के 50 प्रतिशत भाग तक अनुदान स्वरूप प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(9) यह निर्विवादित तथ्य है कि शैक्षणिक सत्र 1984-85 एवं 1985-86 के लिए याचिकाकर्ता संस्था द्वारा शासन के समक्ष प्रतिपूर्ति हेतु मांग पत्र प्रस्ततु किए थे, जिन्हें शासन द्वारा स्वीकार किया गया, तथा दिनांक 15.12.1984 के शासकीय नीति के आदेशानुसार याचिकाकर्ता संस्था को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की गई।यह दिनांक 12.09.1986 के पत्र (परिशिष्ट पी-3) से स्पष्ट है। तथापि उक्त तिथि के उपरांत भी याचिकाकर्ता संस्था को कोई प्रतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं की गई। याचिकाकर्ता संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 1986-87 से लेकर 1998-99 तक शासन को प्रेषित विविध मांग पत्रों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि संस्था ने बालिका छात्राओं की शिक्षण शुल्क से संबंधित प्रतिपूर्ति की मांग शासन के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की थी। रिट याचिका में यह स्पष्ट एवं श्रेणीबद्ध रूप से अंकित किया कि याचिकाकर्ता संस्था ने शैक्षणिक सत्र 1986-87 से 1998-99 की अवधि की शिक्षण शुल्क वसूली बालिका छात्राओं से नहीं की तथा प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु लगातार शासन के समक्ष मांग प्रस्तुत करती रही। उक्त तथ्य उत्तरवादीगण द्वारा न तो विवादित किया गया और न ही इसका कोई खण्डन किया गया है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकार है कि शैक्षणिक सत्र 1986-87 से लेकर 1988-89 की संपूर्ण अवधि के लिए याचिकाकर्ता संस्था द्वारा बालिका छात्राओं से शैक्षणिक शुल्क की वसूली नहीं की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व किया गया था, और याचिकाकर्ता संस्था ने उक्त प्रतिनिधित्व पर विश्वास करते हुए अपने व्यवहार को उसी के अनुरूप परिवर्तित किया तथा उसे गंभीर हानि का सामना करना पड़ा, इसलिए वचन विबंधन का सिद्धांत राज्य शासन को अपने किए गए वचन का पालन करने हेतु विधिक रूप से बाध्य करता है।

(11) **पंजाब राज्य विरूद्ध नेस्ले इंडिया लिमिटेड एवं अन्य**[4] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने वचन विबंधन के सिद्धांतों के प्रयोग के संबंध में विधि के विकास पर विस्तृत रूप से

---

4 (2004) 6 SCC 465

विचार किया, इस विषय पर न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में निर्णयों का संदर्भ दिया, जिसमें **कलेक्टर आफ बाम्बे विरूद्ध म्यूनिसिपल कार्पोरेशन आफ द सिटी आफ बाम्बे (AIR 1951.SC 469),**के प्रकरण में दिया गया प्रारंभिक निर्णयों में से एक सम्मिलित है, जिसने वचन विबंधन के सिद्धांत की नींव रखी गई थी यह अभिनिर्धारित किया गया:-

> "25. अन्य शब्दों में वचन विबंधन जिसे न्याय-साम्य में एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में दीर्घकाल से मान्यता प्राप्त थी, को सरकार के विरूद्ध वाद-कारण का आधार माना गया,और इस पर बल दिया जाना आवश्यक है, जिस अभिव्यक्ति को परिवर्तित कराया जाना चाहा गया था, वह विधिक रूप से अविधिमान्य थी, इस अर्थ में की वह ऐसी रीति से की गई थी जो संविधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत संघ विरूद्ध एग्लों अफगान एजेंसी (AIR 1968 SC 718), के प्रकरण में दिए गए पश्चातवर्ती निर्णय का भी अवलंब लिया गया, अतः

> "26. इस सिद्धांत को भारत संघ विरूद्ध एंग्लो अफगान एजेंसी के प्रकरण में विस्तारित किया गया, जहां यह कहा गया (SCR पृ. 385): (AIR पृ. 728 कंडिका 23)
>
> > "23 हमारे न्याय शास्त्र के अंतर्गत सरकार अपने भविष्य के आचरण के संबंध में किए गए प्रतिनिधित्व को पूर्ण करने के दायित्व से मुक्त नहीं है और वह आवश्यकता या सुविधा के किसी अपरिभाषित और अप्रकटित आधार पर अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में विफल नहीं हो सकती, न ही उन परिस्थितियों के एक पक्षीय मूल्यांकन नागरिक के प्रति उत्पन्न दायित्व, अपने स्वयं के दायित्व का न्यायाधीश होने का दावा नहीं कर सकती।''

(12) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उपर्युक्त निर्णय में **मोतीलाल पदमपत शुगर मील कंपनी लिमिटेड विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य [(1979) 2 SCC 409],**के प्रकरण में अपने दिए गए

पूर्ववर्ती ऐतिहासिक निर्णय का अवलंब लिया जिसमें उस निर्णय में निर्धारित पूर्व शर्तों, सामर्थ्य एवं सीमाओं का निम्नलिखित उल्लेख किया गया।

"28. इस न्यायालय ने शासन की सभी तीनों याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया। इसने सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए सुविदित पूर्व शर्तों को पुनः प्रतिपादित किया:-

(1) एक स्पष्ट और असंदिग्ध प्रतिज्ञा यह जानते हुए और आशय रखते हुए प्रतिज्ञा ग्राहिता द्वारा इस पर कार्य किया जायेगा।

(2) प्रतिज्ञा ग्राहिता द्वारा प्रतिज्ञा पर इस प्रकार कार्य किया जाना कि प्रतिज्ञाकर्ता की प्रतिज्ञा से पीछे हटने की अनुमति देना असाम्यिक हो जाये।

29. इसकी सामर्थ्य के संबंध में यह कहा गया कि : यह सिद्धांत केवल उन प्रकरणों तक सीमित नहीं था, जहां पक्षकारों के मध्य कोई संविदात्मक संबंध या अन्य पूर्व विद्यमान विधिक संबंध हो। यह सिद्धांत तब भी लागू होगा जब प्रतिज्ञा का आशय विधिक संबंध सृजित करना हो या ऐसे विधिक संबंध को प्रभावित करना हो जो भविष्य में उत्पन्न होगा। सरकार इस सिद्धांत के प्रर्वतन के प्रति सामान रूप से संवेदनशील होगी, चाहे प्रतिज्ञा किसी भी क्षेत्र या विषय में की गई हो-संविदात्मक प्रशासनिक या संविधिक न्यायालय के शब्दों में इस प्रकार है:-

" इस निर्णय के परिणामस्वरूप विधि को अब निर्धारित मान लिया जा सकता है कि जहां सरकार कोई प्रतिज्ञा यह जानते हुए या आशय रखते हुए करती है कि प्रतिज्ञाग्रहिता द्वारा इस पर कार्य किया जायेगा। और वास्तव में, प्रतिज्ञाग्रहिता, इस पर निर्भरता करते हुए कार्य करते हुए, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तो सरकार प्रतिज्ञा से आबद्ध मानी जायेगी और प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाग्रहिता के आग्रह पर सरकार के विरूद्ध प्रवर्तनीय होगी, इस तथ्य के होते हुए भी कि प्रतिज्ञा के लिए कोई प्रतिफल नहीं है और प्रतिज्ञा संविधान के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुच्छेद 299 द्वारा अपेक्षित औपचारिक संविदा के रूप में अभिलिखित नहीं है।(SCC पृ. 442, कंडिका 24) ”

* * *

”न्याय-साम्य, किसी दिए गए मामले में जहां न्याय और निष्पक्षता की मांग हो, किसी व्यक्ति को कठोर विधिक अधिकारों पर आग्रह करने से निवारित करेगा, यहां तक कि जहां वे किसी संविदा के अंतर्गत नहीं, अपितु उसके स्वयं के स्वत्व विलेखों या संविधि के अंतर्गत उत्पन्न होते है। (SCC पृ. 425, कंडिका 8)

* * *

” कार्य की प्रकृति कुछ भी हो जिसका निर्वहन सरकार कर रही है, सरकार वचन बद्धता के नियम के अधीन है और यदि इस नियम के आवश्यक तत्व संतुष्ट हो जाते है, तो सरकार को अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाध्य जा सकता है।’’(SCC पृ. 453, कंडिका 33) (बल दिया गया)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

30. सामर्थ्य के संबंध में इतना ही। तत्पश्चात् सीमाएं आती हैं। यह इस प्रकार है:-

(1) चूंकि वचन बद्धता का सिद्धांत एक साम्यापूर्ण सिद्धांत है, इसलिए इसे तब झुकना चाहिए जब साम्या ऐसी अपेक्षा करे। किन्तु केवल तभी जब न्यायालय, सरकार द्वारा प्रस्तुत उचित और पर्याप्त सामग्री पर, यह संतुष्ट हो जाए कि अधिभावी लोक हित की यह अपेक्षा है कि सरकार को प्रतिज्ञा से आबद्ध नहीं माना जाए, अपितु उसे इससे अबाधित होकर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, तभी न्यायालय सरकार के विरुद्ध प्रतिज्ञा को प्रवर्तित करने से इनकार करेगा। (एस.सी.सी. पृ. 443, कंडिका 24)

(2) किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है, इस अर्थ में कि अभिव्यक्ति या प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी के पास प्रतिज्ञा

को पूर्ण करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि शक्ति विद्यमान है, तो पूर्व में उल्लिखित पूर्व-शर्तों और सीमाओं के अधीन, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि संविधि में सरकार को छूट प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने वाला कोई उपबंध नहीं है, तो सरकार के विरुद्ध अभिव्यक्ति को प्रवर्तित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि सरकार को संविधि के विपरीत कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि संविधि सरकार को छूट प्रदान करने की शक्ति प्रदत्त करती है, तो सरकार को प्रतिज्ञाग्रहीता को विक्रय कर के भुगतान से छूट देने की अपनी प्रतिज्ञा से वैध रूप से आबद्ध माना जा सकता है। (SCC पृ. 453)"

13.अतएव, राज्य शासन विबंधन के सिद्धान्तों से सुस्पष्ट रूप से आबद्ध है कि वह याचिकाकर्ता-संस्थान को उस क्षति के संदर्भ में 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति करे, जो उक्त याचिकाकर्ता-संस्थान को सन् 1986-87 से 1998-99 तक की कालावधि में बालिकाओं को शिक्षण-शुल्क के भुगतान से प्रदत्त छूट के कारण हुई है। वह धनराशि जो याचिकाकर्ता-संस्थान द्वारा अभिनिर्धारित की गयी है तथा याचिका में कथित की गयी है, रु.8,71,827/- है, जो कि शिक्षण-शुल्क एवं प्रयोगशाला-शुल्क का 50 प्रतिशत है। उपरोक्त अभिनिर्धारित राशि का किसी भी उत्तरवादी द्वारा सारवान रूप से विरोध नहीं किया गया है। उत्तरवादीगण संख्या 2 एवं 4 ने अपने प्रत्यावेदन में याचिकाकर्ता के दावे का खण्डन करते हुए कोई विनिर्दिष्ट आक्षेप उपस्थित नहीं किया है, किन्तु यह मत स्थापित किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया था तथा यह कि दायित्व, यदि कोई हो, मध्य प्रदेश राज्य पर है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. विलंब एवं विधिक-उपेक्षा के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता के विरुद्ध आपत्ति इस न्यायालय को मान्य प्रतीत नहीं होती है। रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने शपथपत्र पर कंडिका 5.7 एवं 5.8 में यह कथन किया है कि जब कभी याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण से संपर्क साधा, उन्हें शैक्षणिक सत्र 1998-99 तक भुगतान के विमोचन की दिशा में सकारात्मक कार्यवाही का

आश्वासन एवं वचन प्रदान किया गया। कंडिका 5.9 में भी यह स्पष्टतः कथित किया गया है कि प्रथम बार अप्रैल, 2000 में याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि दायित्व अब छत्तीसगढ़ राज्य का है, तथा दायित्वों का दोनों राज्यों के मध्य विभाजन एवं समायोजन किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने तदुपरान्त एक विधिक सूचना प्रेषित की तथा उसका प्रत्युत्तर प्राप्त करने के उपरान्त, यह रिट याचिका प्रस्तुत की।पूर्वोक्त तथ्यों का उत्तरवादीगण क्रमांक 1 एवं 3 द्वारा प्रतिवाद नहीं किया गया है। उत्तरवादीगण क्रमांक 2 एवं 4 ने भी इस तथ्य पर आपत्ति नहीं की है, जो रिट याचिका के परिच्छेद (कंडिका)5.7., 5.8 एवं 5.9 में निःसंदिग्ध रूप से प्रतिपादित किये गये हैं। फलस्वरूप, यह विदित है कि याचिकाकर्ताओं को कालक्रमानुसार भुगतान का आश्वासन प्रदत्त किया जाता रहा, जब कभी याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादीगण से सम्पर्क स्थापित किया। प्राधिकारी के पास गए, परन्तु अंततः अप्रैल, 2000 के महीने में, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया जाना है, क्योंकि दायित्व को समायोजित और विभाजित किया जा चुका है। अतः, मैं विलम्ब और विधिक उपेक्षा के ऐसे आधार पर याचिका को खारिज करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, विशेषकर तब जब याचिकाकर्ता के गुणागुण पर आधारित दावे का उत्तरवादीगण द्वारा सारभूत रूप से कोई विवाद नहीं किया गया है। उत्तरवादी संख्या 2 से 4 द्वारा उठाया गया अन्य तकनीकी आक्षेप कि याचिकाकर्ताओं को धन वाद दायर करना चाहिए था, निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता का दावा उत्तरवादी-राज्य की ओर से की गई मनमानी कार्रवाई पर आधारित है, जो न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करने के दायित्व के अधीन है। मात्र इस कारण से कि वाद द्वारा धनराशि की वसूली का वैकल्पिक उपचार विद्यमान है, यह न्यायालय इस आधार पर इस रिट याचिका को निरस्त करने को प्रवृत्त नहीं है, जबकि यह याचिका सन् 2003 से लम्बित चली आ रही है, विशेषतः तब जब दायित्व से सम्बन्धित तथ्यों का उत्तरवादीगण द्वारा प्रतिवाद नहीं किया गया है। उत्तरवादीगण ने कुल धनराशि का भी विरोध नहीं किया है, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया गया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है। मध्य प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग को पक्षकार के रूप में पक्षकृत न किए जाने के सम्बन्ध में अन्तिम आक्षेप भी अस्वीकृत किए जाने योग्य है, यथा भुगतान के लिए अन्तिम दायित्व राज्य शासन का है तथा मध्य प्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य दोनों को पक्षकार के रूप में पक्षकृत किया गया है।मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, मध्य प्रदेश राज्य का मात्र एक साधन है, जो राज्य सरकार के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा दिशा-निर्देशन में कार्य करता है। परिणामस्वरूप, उक्त आयोग को राज्य का अभिन्न अंग माना जाएगा और इसके क्रियाकलाप राज्य के कार्यकलाप के रूप में अभिलक्षित किए जाएंगे।

15. उपरोक्त विवेचनाओं के दृष्टिगत, मैं इस दृढ़ मत में हूँ कि याचिकाकर्ता-संस्था उस शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार है जो उनके द्वारा छात्राओं से एकत्रित नहीं किया गया है, शुल्क छूट की अपनी नीति के अनुसरण में शासन द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर कार्यवाही करते हुए, जैसा कि उपरोक्त विवेचित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्कप्रस्तुत किया कि चूंकि दायित्व उस तिथि से पूर्व की अवधि के संबंध में है, जिस तिथि को म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य का सृजन किया गया था, अतः मध्य प्रदेश राज्य उत्तरदायी है। उत्तरवादी संख्या 1-मध्य प्रदेश राज्य तथा उत्तरवादी संख्या 3/आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन को नोटिस की तामीली के बावजूद, उनके द्वारा न तो कोई अभ्यावेदन किया गया है और न ही कोई प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। तथापि, याचिकाकर्ता ने आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ को किया गया दिनांक 13.1.2003 का संसूचन (अनुलग्नक पी-27) अभिलेख पर रखा है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 28.10.2000 की अधिसूचना के माध्यम से बजट के आवंटन के अधीन दायित्वों का विभाजन किया गया है। तथापि, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए किसी भी पक्षकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दो उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य दायित्व के विभाजन के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं रखा है। मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किसी करार के अधीन,यदि कोई हो,

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दायित्व के विभाजन के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री के अभाव में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति के उपाय के रूप में राशि के भुगतान की दिशा में दायित्व के विभाजन के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश जारी करने में असमर्थ है, उस अवधि के संबंध में जिसके दौरान याचिकाकर्ता ने सरकार के प्रतिनिधित्व पर कार्य करते हुए छात्राओं से शुल्क की वसूली नहीं की थी।

16. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन से संबंधित वैधानिक व्यवस्था के अधीन, यदि धारा 55 के अंतर्गत अपेक्षित कोई समझौता न किया गया हो, तो दायित्वों का निर्धारण, विशेषकर वादग्रस्तकार्यों के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा। तथापि, यह प्रश्न तभी विचारणीय होगा जब धारा 55 के अंतर्गत उल्लेखित किसी समझौते का अभाव पाया जाए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17.तद्दानुसार, याचिकाकर्तागण शैक्षणिक सत्र्1986-87 से शैक्षणिक सत्र्1998-99 तक की अवधि के संबंध में उनके द्वारा शुल्कएकत्रित नहीं किया गया,प्रतिपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश राज्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य दोनों से, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की योजना के अंतर्गत दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य हुए समझौते के तहत विभाजित उनके दायित्व की सीमा तक, प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि याचिकाकर्ता-संस्था को देय प्रतिपूर्ति की कुल राशि के संबंध में गणना विवरण को उत्तरवादीगण द्वारा विवादित नहीं किया गया है, अतः याचिकाकर्तागण शिक्षण शुल्क तथा प्रयोगशाला शुल्क के 50 प्रतिशत के रूप में रु. 8,71,827/- की राशि के भुगतान के हकदार हैं। दोनों उत्तराधिकारी राज्यउक्तानुसार, मध्य प्रदेश राज्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य, दोनों ही याचिकाकर्ता को उपर्युक्त राशि के भुगतान के लिए इस सीमा तक उत्तरदायी एवं बाध्य होंगे, जिस सीमा तक उनकी देयता मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन विन्यस्त वैधानिक योजना के अनुसार उनके मध्य विभाजित एवं आवंटित की गई है।यह विचार करते हुए कि याचिकाकर्तागण राज्य द्वारा याचिकाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने के अपने वचन से विमुख होने की

कार्रवाई से पीड़ित हैं, न्यायसंगत विचारधारा भी यह अपेक्षा करती है कि याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी राज्यों से उन्हें देय राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्तागणरिट याचिका दाखिल करने की तिथि से उत्तरवादीगण द्वारा वास्तविक भुगतान की तिथि तक 8% की दर से ब्याज के हकदार होंगे।

18.तदनुसार, याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

19.वाद व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित/-

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है, ताकि वे अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv Nikhat Shandan Jafri